क्रम / तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1)देवकी महतो (2)सुखदेव महतो, दोनों के पिता-स्व0 मुटर महतो, ग्राम-सेनेगढ़ा, पोस्ट-रबोध, थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-डाड़ी, ग्राम-सेनेगढ़ा, थाना नं0-45, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या-559, 562, रकवा-1.75डी0, 8.25डी0 कुल रकवा-10 डी0 भूमि सालखो देवी, पति-मोहर लाल महतो, ग्राम-सेनेगढ़ा, पोस्ट-रबोध, थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 116/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, डाड़ी से की गई।

अंचल अधिकारी, डाड़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

केता सालखो देवी एवं विक्रेता देवकी महतो वगै0 पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 2.995 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है सर्वे खतियान में चरकु महतो वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 49/III पर आवेदक के दादा सरलु महतो वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, डाड़ी द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता देवकी महतो का अंचल अधिकारी, डाड़ी, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2020/32227 दिनांक 17.03.2020 एवं अंचल अधिकारी, डाड़ी, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2020/25721 दिनांक 16.03.2020 और केता सालखो देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2020/44405 दिनांक-17.03.2020 एवं अंचल अधिकारी, चुरचू, हजारीबाग द्वारा ऑनलाईन निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3
	JHCBC/2020/123334 दिनांक–08.10.2020 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, डाड़ी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–डाड़ी, ग्राम–सेनेगढ़ा, थाना नं0–45, खाता संख्या–19, प्लॉट संख्या–559, 562, रकवा–1.75डी0, 8.25डी0 कुल रकवा–10 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.08.05 16:43:53 +05:30
Location: 192.168.100.2